भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3385
दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घरों को पेयजल कनेक्शन

3385. डॉ. डी. रवि कुमारः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की सुविधा प्राप्त अनुसूचित जाति (एससी) के परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिए पेयजल कनेक्शन प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कुल कितनी निधि निर्धारित की गई है और राज्यों में दिशानिर्देशों को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है;
(ग) अनुसूचित जाति के परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के लिए नल-जल कनेक्शन किस प्रकार प्रदान किए गए हैं; और
(घ) क्या राज्यों के बीच अनुसूचित जाति के परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्रदान करने में कोई महत्वपूर्ण असमानताएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): अगस्त 2019 से, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी में, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को शामिल करने के बाद, कार्यात्मक नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है, अर्थात निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर, सरकार अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति

सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घावधि आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए रुपए प्रति परिवार प्रदान करती है।

जेजेएम ग्रामीण परिवारों के कवरेज के लिए सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाता है। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधि आबंटित करते समय, ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए 10% वेटेज निर्धारित किया जाता है ताकि उनके कवरेज को प्राथमिकता दी जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों की कवरेज को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में 215.75 लाख ग्रामीण परिवारों में से, 17.03.2025 तक, 172.86 लाख (80.12%) से अधिक परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। 17.03.2025 तक अनुसूचित जाति केंद्रित क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्न है**। जिन अनुसूचित जाति (एससी) परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, उनका ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधियों के वार्षिक आबंटन का 22% अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए निर्धारित किया गया है। जेजेएम के तहत आवंटित निधियों और अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत राज्यों द्वारा आहरित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	आरई के अनुसार आवंटन	वास्तविक उपयोग	एससीएसपी के अंतर्गत राज्यों द्वारा आहरित निधि
2019-20	10,000.66	10,000.44	2,200.15
2020-21	11,000	10,999.94	2,508.90
2021-22	45,011	40,125.64	8,826.30
2022-23	55,000	54,839.79	12,100
2023-24	70,000	69,992.34	15,400
2024-25*	22,694	22,485.88	4,967.68

*17.03.2025 तक

जल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनेक समीक्षा बैठकों, फील्ड दौरों आदि के माध्यम से अन्य बातों

के *साथ-साथ* सभी ग्रामीण परिवारों को आपूर्ति किए गए जल की मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता सहित प्रदान किए गए नल के जल कनेक्शनों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति के परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने में राज्यों के बीच असमानता के संबंध में ऐसी कोई सूचना इस विभाग में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 3385 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(17.03.2025 तक)

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आज की तारीख में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कुल ग्रामीण परिवार	नल जल कनेक्शन सहित परिवार	नल जल कनेक्शन सहित परिवार का %
1.	आंध्र प्रदेश	10,76,109	8,66,799	80.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	537	537	100
3.	असम	4,00,142	3,25,656	81.39
4.	बिहार	10,43,246	10,17,893	97.57
5.	छत्तीसगढ़	4,13,876	3,35,423	81.04
6.	गुजरात	68,154	68,154	100
7.	हरियाणा	2,71,423	2,71,423	100
8.	हिमाचल प्रदेश	3,98,942	3,98,942	100
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1,35,923	99,965	73.55
10.	झारखंड	5,12,392	2,89,827	56.56
11.	कर्नाटक	10,98,150	8,88,010	80.86
12.	केरल	75,740	38,674	51.06
13.	लद्दाख	46	46	100
14.	मध्य प्रदेश	6,99,215	4,47,931	64.06
15.	महाराष्ट्र	4,11,045	3,61,997	88.07
16.	मणिपुर	10,141	6,935	68.39
17.	मेघालय	2,283	1,925	84.32
18.	नागालैंड	33	33	100
19.	ओडिशा	7,78,478	6,01,604	77.28
20.	पुदुचेरी	19,581	19,581	100
21.	पंजाब	14,45,338	14,45,338	100
22.	राजस्थान	8,52,522	5,38,440	63.16
23.	सिक्किम	3,363	3,186	94.74
24.	तमिलनाडु	29,11,232	26,14,667	89.81
25.	तेलंगाना	3,22,071	3,22,071	100
26.	त्रिपुरा	1,41,563	1,26,483	89.35
27.	उत्तर प्रदेश	37,32,330	32,69,624	87.6
28.	उत्तराखंड	2,20,447	2,12,791	96.53
29.	पश्चिम बंगाल	45,30,321	27,12,474	59.87
	कुल	**2,15,74,643**	**1,72,86,429**	**80.12**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एचएच: परिवार